

14-6-18

पत्राकली वास्ते आवेदा हेतु पेश ।

चिहान कली प्रार्थी/अमीलान्त ने बहस में कथन

किया कि अमीलान्त अलादीन खाँ के वारिसों की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण के पिता ~~मोहम्मद अली~~ अलादीन द्वारा उक्त अपील पेश की थी ~~जिसमें अपील के पिता अमीलान्त अलादीन खाँ का देनांक दिनांक 21-4-2010 को हो गया था जिसके विधिक वारिस को कायम मुकाम बनाने हेतु आवेदन दिनांक 16-7-10 को प्रस्तुत किया था । जिसमें अपील कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र के जबाब में चल रही थी।~~ रैस्पोंडेंट ने प्रार्थना पत्र कायम मुकाम को जबाब पेश नहीं किया । तथा इस प्रार्थना पत्र के जबाब में आगामी पेशी दिनांक 15-7-2015 के लिये नियत थी । इस दिनांक को आवेदकगण के अधिवक्ता माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं आये तथा ना ही आवेदकगण को अधिवक्ता ने कोई सूचना दी । अधिवक्ता ने बताया कि अभी अपील कायम मुकाम को कार्रवाई में चल रही है आपके आने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस कारण आवेदकगण इस दिनांक 15-7-2015 को माननीय न्यायालय में हाजिर नहीं हुये जिस पर यह अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गई । आवेदकगण काम के सिलसिले में विदेश रहते है तथा उक्त अपील को पैरवी तोफिक अली ही करता था जो बीमार हो गया । इस कारण तोफिक अली अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका तथा ना ही अधिवक्ता ने उक्त अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होने की सूचना दी । इस कारण अपील खारिज होने की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं हो सकी । दिनांक 13-3-18 को आवेदक लियाकत अली ने वादग्रस्त कृषि भूमियों की जमाबन्दी की नकल ली तब उसमें रैस्पोंडेंट मोहम्मदीन खाँ का




9/18 अलादीन - 14/6/18


सत्यमेव जयते
 Web Copy Not Official

न्यायालय

9/2018 आज़ादी — मोहम्मदी

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	<p>नाम दर्ज मिला तब लियाकत अली ने इस बाबत पता किया तब दिनांक 20-3-18 को पता चला कि अपील दिनांक 15-7-2015 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुकी । तब इसकी प्रमाणित प्रति लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक 23-3-2018 को प्राप्त हुई । जिस पर वकील नियुक्त कर यह प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया तथा साथ में अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र भी पेश किया है । अतः प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे ।</p>	

विद्वान् वकील अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि
अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र जानकारी के बाद श्री
मियाद के बाहर पेश किया है। प्रार्थना पत्र में सारे
तथ्य मनगढन्त पेश किये हैं। जबकि प्रार्थीगण एवं
उनके वकील जानबूझ कर माननीय न्यायालय में हाजिर
नहीं हुये जिसके कारण माननीय न्यायालय ने वैध रूप
से अपीलान्ट की अपीलान्टो खारिज किया गया था
आवेदकगण ना तो विदेश में रहते हैं और ना ही
तौफिक बीमार हुआ। इतना ही नहीं आवेदकगण
सदा से ही अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में रहे हैं।
आवेदकगण एवं उनके अधिवक्ता जानबूझकर माननीय
न्यायालय में हाजिर नहीं हुये। इनके हाजिर नहीं
होने पर अपील ४ अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में
खारिज की है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को शुरु
से रही है किन्तु इन्होंने जानबूझकर यह प्रार्थना पत्र
तीन साल के विलम्ब से पेश किया है। आवेदक के
अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर नहीं हुये तथा उनको
सूचना नहीं दी तो इन्हें अधिवक्ता के विरुद्ध मुकदमा
दर्ज रक्खाना चाहिये था। प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई
सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया जिससे यह माना
जावेकि आवेदकगण को प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश
करने पर विलम्ब को माफ किया जा सके। अपीलान्ट
की अपील इससे पहले भी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी


अधीक्षक अधिकारी एवं
पुनर्जागरण अधिकारी
साकर



में खारिज हो चुकी थी। किन्तु माननीय न्यायालय ने महानुक्तिपूर्वक अपील को पुनः नम्बर पर लिया गया। इसके बाद दिनांक 15-7-2015 को यह अपील पुनः अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुकी जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने का यह प्रार्थना पत्र जानबूझकर 3 वर्ष बाद पेश किया है जिसका कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस बगौर समाप्त की गई। प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलान्त की अपील दिनांक 19-12-2003 को अदम हाजरी में खारिज की गई। जिसे दिनांक 12-4-2004 को पुनः नम्बर पर लिया गया। इसके बाद यह अपील दिनांक 17-10-2005 से लगातार बहस में चलती रही इसके बाद दिनांक 16-7-2010 को अपीलान्त की मृत्यु हो जाने पर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा के पेश किया। इसके बाद यह अपील वास्ते जबाब प्राप्त पत्र कायम मुकाम में चलती रही जो दिनांक 15-7-15 को अपीलान्त एवं उनके वकील हाजिर नहीं होने पर खारिज की गई। जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र आदेश-4। नियम-19 सीपीसी का लगभग 33 माह बाद पेश किया है। इस विलम्ब का प्रार्थना पत्र अधि अधिनियम में कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया जिससे प्रार्थना पत्र में हुये विलम्ब को माफ किया जा सके। प्रार्थीगण अपने कृतव्यों के प्रति सजग नहीं है। केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि उनके वकील ने उनको सूचना नहीं दी। प्रार्थीगण ने अपने वकील विरुद्ध कोई कार्यवाही की रिपोर्ट भी नहीं दी है। अपीलान्त की अपील बार बार खारिज होना अपीलान्त की लापरवाही तथा बिना किसी कारण रेस्पोंडेंट को हैरान व परेशान करान ही प्रमाणित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र